न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

शंकर बनाम हजारी वगैरह

किस्म मुकदमा:–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 107/2026 (पुष्कर)

विनोद 5/3/26

	श्री प्रशांत वर्मा	
05.03.2026	शंकरसिंह बनाम हजारी वगैरह (2026/107) यह अपील श्री प्रशान्त वर्मा एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2025 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत निवेदन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने गलत एवं मनमाने तौर पर बिना प्रार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्रार्थी के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.05.2025 पारित कर दी जिसका जवाब भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है इसके उपरांत भी उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निस्तारण आज दिनांक तक नहीं किया जा रहा है। जिससे प्रार्थी द्वारा विधिक सलाह अनुसार प्रमाणित नकले प्राप्त कर उपरोक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपील को गुणागुणव पर निर्णित किया जाना आवश्यक है ताकी प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सकें। अतः प्रार्थी का मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट है अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा आर0बी0जे0 (21) 2014 पेज संख्या 472 के न्यायिक दृष्टांत में अंकन है कि " **Purpose of Rules of limitation is not to destroy the rights of the parties, rather the idea is that every legal remedy must be kept alive for a legislatively fixed period of time.**" इस अनुसार हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोष एवं सद्भाविक प्रतीत होने से प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं कर मेरिट पर किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील प्रस्तुती में हुयी देरी को न्यायहित में कन्डोन कर प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बावत	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

शंकर बनाम हजारी वगैरह

किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 107/2026 (पुष्कर)

निवेदन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने गलत एवं मनमाने तौर पर बिना प्रार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्रार्थी के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.05.2025 पारित कर दी जिसका जवाब भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है इसके उपरांत भी उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निस्तारण आज दिनांक तक नहीं किया जा रहा है। जिसकी आड में अप्रार्थी प्रार्थी की कब्जे काश्त में दखल अंदाजी उत्पन्न करने एवं प्रार्थी को भूमी से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित करने पर आमादा है जिसमें यदि वह सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। यह कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के आदेश दिनांक 05.05.2025 की पालना व प्रभाव को स्थगित करने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन, अपील मिमों एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी ने दिनांक 05.05.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 21.07.2025 को अपीलांट/अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया तथा अन्य अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। तत्पश्चता प्रकरण निरंतर जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी व तलबी में नियत रहा तथा निरंतर 12 पेशीया दी गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा न तो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी का कोई जवाब पेश किया गया ना ही अप्रार्थी संख्या 11/1 से 11/5 की तलबी हेतु नोटिस पेश किये गये। जो प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी की प्रकरण की प्रति उदासीनता प्रकट करता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है।

अतः न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर बिना गुणावगुण पर टिप्पीणी किये निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को जवाब तथा शेष रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु अधिकतम तीन अवसर देते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर

अपील टी0ए0 संख्या ..107/2026 जिला अजमेर

शंकर पुत्र छोगा जाति रावत, निवासी ग्राम नेडलिया, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।

— अपीलांट

बनाम्

1. हजारी पुत्र घीसा, जाति रावत, निवासी ग्राम नेडलिया, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।

— असल रेस्पोडेन्ट

2. कमला देवी पत्नि मदनसिंह
3. अर्जुन पुत्र भोमा
4. किशन पुत्र छोगा
5. राधा पत्नि उगमा
6. गिरधारी पुत्र उगमा
7. मुकेश पुत्र उगमा
8. राजेन्द्र पुत्र उगमा
9. महेन्द्र सिंह पुत्र छोगा
10. अनिता पुत्री महेन्द्र सिंह
11. सुनीता पुत्री महेन्द्र सिंह
12. रमेश पुत्र महेन्द्र सिंह) नाबालिगान जरिये संरक्षक
13. कैलाश पुत्र महेन्द्र सिंह) पिता महेन्द्र सिंह
14. उर्मिला पुत्री महेन्द्र सिंह) .

समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम नेडलिया, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।

Scanned with CamScanner

15. केशवाचार्य शर्मा पुत्र केशवाचार्य शर्मा
16. भूमिका शर्मा पुत्री रविकान्त शर्मा
17. ममता पत्नि शशिकान्त शर्मा
18. रविकान्त शर्मा पुत्र सत्यनारायण
19. शशिकान्त शर्मा पुत्र सत्यनारायण

समस्त जाति ब्राहमण निवासी वराह चौक, छोटी बस्ती, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।

20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, पुष्कर जिला अजमेर।
21. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, पुष्कर, जिला अजमेर।

— तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, पुष्कर दिनांक 5.5.2025 जो कि प्रकरण संख्या 33/2025 बउनवानी हजारी बनाम् श्रीमती कमला व अन्य में पारित किया गया।

———

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन हैः—

(अ) यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, पुष्कर के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेन्ट्स एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया। साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या नया पुराना

Scanned with CamScanner